



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 179 राँची, सोमवार,

21 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

27 फरवरी, 2025

संख्या-5/आरोप-1-80/2015 का.--29187 (HRMS)--श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-832/03) के अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के कार्यावधि से संबंधित राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5171/रा०, दिनांक- 16.11.2015 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक- 852/स्था०, दिनांक- 30.10.2015 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आरोप पत्र में आपके विरुद्ध कठौतिया कोल माईन्स के अन्तर्गत 82.76 एकड़ जमीन, जो जंगल झाड़ी की थी, को गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में प्रतिवेदित करते हुए नियम विरुद्ध मे० उषा मार्टिन, प्रा० लि० को कोयला उत्खनन के लिए आवंटित करने, कठौतिया कोल माईन्स में बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT की धारा 49 का उल्लंघन करने आदि से संबंधित कुल 04(चार) आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 6597, दिनांक- 29.07.2016 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 172, दिनांक- 14.12.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी 04(चार) आरोपों को सही प्रतीत नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

साथ ही प्रतिवेदित है कि इस पूरे प्रकरण में आरोपी का दोष सिर्फ इतना ही परिलक्षित होता है कि पूर्व से हस्तलिखित एवं निचले स्तर से उपायुक्त स्तर तक के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक स्लीप, जाँच प्रतिवेदन एवं खेसरा प्रपत्र जिसमें 82.26 एकड़ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि को गैरमजरूआ भूमि दर्शायी गयी थी, की Computerised Copy पर आरोपी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, जो एक Bonafide Mistake प्रतीत होता है।

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, आपके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 के द्वारा आपके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

5. उपर्युक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(C) No- 2485/2019 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

6. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 22.07.2024 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उक्त मामले को प्रतिवादी संख्या-03(संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) को वापस किया गया है तथा प्रासंगिक मामले में पुनः नये सिरे से नोटिस निर्गत करते हुए नियमानुसार निर्णय लेने का निदेश दिया गया है।

7. W.P.(C) No- 2485/2019 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-22.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक- 5759 दिनांक- 09.09.2024 के द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमति के कारणों को अंकित करते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

8. श्री कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक- 22.07.2024 को पारित न्यायादेश के समीक्षोपरांत पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं Explain करने हेतु विभागीय पत्रांक- 8001, दिनांक- 10.12.2024 के द्वारा श्री कुमार को निदेशित किया गया।

9. विभागीय पत्रांक- 8001, दिनांक- 10.12.2024 के क्रम में श्री कुमार के द्वारा दिनांक- 07.01.2025 को संयुक्त सचिव के समक्ष अपना पक्ष रखा गया।

10. समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प संख्या-1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 को विलोपित करने तथा श्री आलोक कुमार के द्वारा दिनांक- 07.01.2025 को समर्पित पक्ष को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिंदु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः मा0 न्यायालय द्वारा W.P.(C) No- 2485/2019 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-22.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री आलोक कुमार के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड से संबंधित विभागीय संकल्प सं०-1756(HRMS), दिनांक-15.04.2019 को विलोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALOK KUMAR JHK/JAS/06	मा० न्यायालय द्वारा W.P.(C) No- 2485/2019 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-22.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 832/03) के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड से संबंधित विभागीय संकल्प सं०-1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
